



प्रेस नोट-163 / 2026

दिनांक 21.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ-अन्तर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी शुभम लोनकर गैंग द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रोहित शेटी के निवास पर दहशत व रंगदारी के उद्देश्य से की गयी फायरिंग की घटना में वाँछित अभियुक्त प्रदीप शर्मा आगरा से गिरफ्तार।

दिनांक 01-02-2026 रात्रि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रोहित शेटी के जूहू स्थिति शेटी टावर पर कुख्यात अपराधी शुभम लोनकर गैंग के इशारे पर आम जनमानस व फिल्म उद्योग में दहशत उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गयी फायरिंग की घटना में वाँछित अभियुक्त प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू को एसटीएफ उ0प्र0 एवं तथा काइम ब्रांच मुम्बई पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-

1- प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू पुत्र राधा मोहन शर्मा निवासी मोहल्ला महावीर नगर पक्की तलैया बिजौली कस्बा व थाना बाह जिला आगरा। उम्र करीब-23 वर्ष

दिनांक गिरफ्तारी का स्थान, समय-

दिनांक 21-03-2026 समय 15.50 बजे मो0 महावीर नगर बिजौली थाना क्षेत्र वाह आगरा।

कुख्यात अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी शुभम लोनकर गिरोह द्वारा फिल्म जगत, उद्योगपतियों एवं आमजनमास में रंगदारी व वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से शूटरों के माध्यम से प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व व्यवसायी रोहित शेटी के घर पर दिनांक 01-02-2026 रात्रि फायरिंग की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0-19/2026 धारा 109, 61(2), 238, 3(5), बीएनएस 37(1), 37(2), 135 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम व 3,25,27 शस्त्र अधिनियम काइम ब्रांच मुम्बई में अभियोग पंजीकृत हुआ था। मुम्बई काइम ब्रांच द्वारा वाँछित अपराधियों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। उपरोक्त प्रयासों के क्रम में साक्ष्य संकलन व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मुम्बई पुलिस द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स उ0प्र0 से अपराधियों की गिरफ्तारी

में सहयोग हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक फील्ड इकाई आगरा के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित करते हुए काइम ब्रांच मुम्बई पुलिस को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 21-03-2026 को एस0टी0एफ0 यूनिट आगरा से निरीक्षक श्री आकाश सिंह, उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह की टीम एवं काइम ब्रांच मुम्बई पुलिस के अस्सिस्टेंट पुलिस इस्पेक्टर श्री अमोल माली, उ0नि0 श्री स्वपिप्ल काले की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभिसूचना संकलन किया जा रहा था, इस दौरान अभियुक्त प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू को महावीर नगर बिजौली थाना वाह के पास होने की सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि शुभम लोनकर गैंग के फेसबुक, इस्टाग्राम पर पोस्ट देखकर एवं उससे प्रभावित होकर अपना बचस्व दिखाने की योजना बनाया। इसके पूर्व साथी शिवम दुबे पुत्र अनिल दुबे मोहल्ला महावीर नगर कस्बा व थाना वाह कमिश्नरेट आगरा ने उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए इससे बताया। जिस पर यह विष्णु कुशवाहा व दीपक निवासी गण ग्राम विजौली थाना बाह जिला आगरा को तैयार किया। जिसके बाद दीपक द्वारा मुम्बई जाकर दिनांक 01-02-2026 को फिल्म व्यवसायी/निर्माता रोहित शेटी के घर पर अन्धाधुन्ध फायरिंग की गयी थी। शिवम दुबे के कहने पर ही दिनांक-28-05-2025 को राजू कटोरिया निवासी श्री गंगानगर राजस्थान के घर जाकर इसने पिस्टल से फायरिंग किया था। इस घटना में पुलिस द्वारा इसे पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मुम्बई में दिनांक 01-02-2026 को हुई उक्त घटना में शामिल दीपक, विष्णु कुशवाहा एवं अन्य 05 अभियुक्तों को दिनांक 15-02-2026 को एसटीएफ उ0प्र0 एवं मुम्बई काइम ब्रान्च की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किया जा चुका है। यह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर-उधर छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप शर्मा को थाना बाह जिला आगरा में दाखिल करते हुए मा0 न्यायालय में पेश करने हेतु काइम ब्रांच मुम्बई पुलिस को सुपुर्द किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही काइम ब्रांच मुम्बई पुलिस द्वारा की जायेगी।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद

- लूट की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 08 हजार 190 रूपये नगद
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद

दिनांक 21.03.2026 को थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद, थाना मऊदरवाजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम ऊगरपुर, ट्यूवेल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ राकी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 08 हजार 190 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-उपेन्द्र उर्फ राकी निवासी चमन नगरिया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1-लूट के 08 हजार 190 रूपये नगद।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 270 ग्राम अवैध स्मैक

- 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद

दिनांक 20.03.2026 को थाना तितावी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तितावी पुल के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1-रब्बान 2-दानिश को गिरफ्तार किया गया एवं दो अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 270 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रब्बान निवासी सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ।

2-दानिश निवासी जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1-लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 270 ग्राम अवैध स्मैक।

2-01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।
